न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 40/2012

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 विरदसिंह पुत्र थानसिंह जाति राजपुरोहित निवीस बारवा तहसील बाली		1 भरतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा 2 देवीसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बारवा 3 ग्राम पंचायत बारवा जरिये सरपंच बारवा तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3. अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 07.11.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत बारवा द्वारा मिसल संख्या 67/2004–2005 तथा मिसल संख्या 63/2004–05 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.06.2005 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 तथा 41 दिनांक 03.12.2005 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र खानापूर्ति करते हुए आधी अधूरी प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी जांच के जैर अपील आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। न तो विधि अनुसार मिसल कायम की गई, न ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया, भूमि के पडौस में क्या स्थित है, आदि अंकित नही है। मौका जांच किन पंचो द्वारा की गई, उनके नाम भी खाली छोडे गये है, निरीक्षण की दिनांक एवं पंचों के हस्ताक्षर आदि नही है। आपत्ति इश्तिहार अपूर्ण जारी किया गया है तथा किस स्थान पर किनके समक्ष चस्पा किया गया, अंकित नही है। गवाहों के बयान भी कलमबद्ध नही किये गये, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी का कितने वर्षो पुराना मकान निर्मित है। समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा मिलावट करते हुए की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी स्वीकार करावे एवं जेर निगरानी आज्ञा तथा उसकी पालना में जारी पट्टा को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी मात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी इस प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नही है, इस कारण प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। अप्रार्थी के घर के पश्चिम दिशा में पानी की निकासी हेतु गली स्थित है, जो आगे प्रार्थी के घर से होकर गुजरती है, उस गली में प्रार्थी ने अतिक्रमण कर बन्द करने एवं पानी को रोकने का प्रयास किया, तो अप्रार्थी द्वारा उस कृत्य को रोकने के लिये सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए गली को खोलने के आदेश दिये गये। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना नही करने पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट की कार्यवाही की गई, जो लम्बित है। इस कार्यवाही से नाराज होकर प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर अप्रार्थी के पूर्वजों के समय से निर्मित मकान स्थित है, जो अप्रार्थी का पुश्तैनी है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है एवं न ही रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी किया गया है। स्वयं प्रार्थी एवं उसके गवाहों द्वारा सिविल कोर्ट में उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी होना माना है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत बारवा द्वारा मिसल संख्या 67/2004–2005. तथा मिसल संख्या 63/2004–05 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.06.2005 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 तथा 41 दिनांक 03.12.2005 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी भरतसिंह द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बारवा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने आवासीय मकान का पट्टा जारी क़राने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 18.10.2004 को मिसल कायम करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 05.02.2005 को तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया जाना अंकित किया, जबकि तीन वार्ड पंच कौन थे, इनका कहीं भी अंकन नही है। उक्त आदेश की पालना में मिसल में जो मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उस पर किसी भी पंच के हस्ताक्षर नही है। इसके पश्चात दिनांक 05.03.2005 को अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.05.2005 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, किन्तु उक्त आपत्ति इश्तिहार किस स्थान पर किनके समक्ष चस्पा किया गया, अंकित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के पुश्तेनी मकान के सम्बन्ध में किसी भी गवाह के बयान कलमबद्ध नही किये गये। इसके पश्चात दिनांक 20.06.2005 को नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण का समग्र अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147 सहित नियम 157 के तहत बिना किसी जांच एवं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रक्रिया अपनाऐ विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो अनुचित है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बारवा द्वारा मिसल संख्या 67/2004–2005 तथा मिसल संख्या 63/2004–05 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.06.2005 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 40 तथा 41 दिनांक 03.12.2005 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 07.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली